न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रविन्द्र गोस्वामी,I.A.S.

प्रकरण संख्या —50/2024 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2024/145

1. दीपक मेघवाल पुत्र स्व0 श्री रामप्रसाद निवासी खाती मोहल्ला ग्राम व पोस्ट कसार तहसील लाडपुरा कोटा
2. लीला बाई पत्नी स्व. रामप्रसाद जाति बलाई मेघवाल निवासी खाती मोहल्ला ग्राम व पोस्ट कसार तहसील लाडपुरा कोटा

——अपीलाण्ट.

बनाम

नायब तहसीलदार मण्डाना जिला कोटा

——रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्व नामान्तरकरण सं0 2062 दिनांक 28.05.2024 तहसीलदार लाडपुरा

उस्थिति

1. धारा सिंह मीणा, अभिभाषक अपीलान्ट
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक— 24.09.2024

1. अपील का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम कसार में खाता संख्या नया 127 व पुराना 112 की आराजी खसरा नं0 81 की रकबा 1.1200 हे0 खातेदार रामप्रसाद पुत्र हीरा के संयुक्त खाते दर्ज थी, खातेदार रामप्रसाद फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा फौती इन्तकाल नं0 2062 दिनांक 15.05.2024 को वारिसान के नाम दर्ज किया गया किन्तु नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा उक्त नामान्तकरण संलग्न डेथ सर्टिफिकेट स्पष्ट नहीं होने का नोट लगाते हुए दिनांक 28.5.2024 को खारिज कर दिया ।

2. नायब तहसीलदार मण्डाना के उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.7.2024 को प्रस्तुत की गई है जो दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई । वकील अपीलांट एवं पेरोकार सरकार उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी ।

3. वकील अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट के पिता रामप्रसाद पुत्र हीरा के संयुक्त खाते की आराजी खाता नं0 नया 127 व पुराना 112 की खसरा नं0 81 की रकबा 1.1200 हे0 वाके ग्राम कसार पटवार हल्का कसार तहसील लाडपुरा कोटा पर स्थित है जिसमें रामप्रसाद का 1/6 हिस्सा अधिकार चला आ रहा है, लेकिन रामप्रसाद जी का देहान्त दिनांक 16.11.2021 को हो गया है जिनके वारिसान में अपीलांटगण है । अपीलांटगण ने रामप्रसाद की हिस्सा आराजी का फोती इंतकाल खुलवाने व रामप्रसाद की हिस्सा आराजी को अपने पक्ष में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराने हेतु रेस्पो0 के यहां पर ऑनलाईन प्रार्थना पत्र समस्त दस्तावेज सहित समस्त ओपचारिकताएं पूर्ण करते हुएप्रस्तुत किया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्राथ्रना पत्र इस टिप्पणी के साथ अपने आदेश दिनांक 28.5.2024 से खारिज कर दिया गया कि डेथ सर्टिफिकेट स्पष्ट नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय चाहते तो दस्तावेज को पुनः मांग कर स्पष्टीकरण करा सकते थे, असल दस्तावेज तलब कर स्पष्टीकरण ले सकते थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर बिना तथ्यों पर गौर किये ही उक्त फोती इंतकाल खुलवाये जाने का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर

जिला कलेक्टर
कोटा

खारिज कर दिया जो अपास्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत दिनांक 28.5.2024 को अपास्त कर अपीलांट के पक्ष में उनके पिता व पति रामप्रसाद के देहान्त के बाद उनके वारिसान होने से उनकी हिस्सा आराजी जिसका वर्णन अपील की मद क्रम 2 में दिया गया है पर अपीलांट के पक्ष में फोती इंतकाल खोला जाकर उक्त हिस्सा आराजी को अपीलांट व उसकी मां लीला बाई के पक्ष में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश प्रदान करें ।

4. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांटगण द्वारा मूल दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में वारिसान के नाम फौती इन्तकाल स्वीकृत किया जा सकता है ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम कसार में खाता संख्या नया 127 व पुराना 112 की आराजी खसरा नं0 81 की रकबा 1.1200 हे0 खातेदार रामप्रसाद पुत्र हीरा के संयुक्त खाते दर्ज थी, खातेदार रामप्रसाद फौत होने पर पटवारी हल्का द्वारा फौती इन्तकाल नं0 2062 दिनांक 15.05.2024 को वारिसान के नाम दर्ज किया गया किन्तु नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा उक्त नामान्तकरण संलग्न डेथ सर्टिफिकेट स्पष्ट नहीं होने का नोट लगाते हुए दिनांक 28.5.2024 को खारिज किया जाने से अपीलांट द्वारा यह अपील दिनांक 22.07.2024 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई हे जो अन्दर मियाद नहीं है किन्तु अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना उचित होने से मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

6. प्रस्तुत अपील में अपीलांट का तर्क उचित है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरकरण इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मृत्यु प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट किस आधार पर नहीं है यह अंकित नहीं किया है, जबकि मृत्यु प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं था तो मूल प्रति अपीलांटगण आवेदकों को प्रस्तुत करने हेतु कहा जा सकता था, किन्तु मूल दस्तावेज प्राप्त नहीं कर नामान्तरकरण खारिज कर दिया गया जो उचित नहीं है जबकि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत खातेदार के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति अपील के साथ प्रस्तुत की गई है जो स्पष्ट पठन योग्य है । ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य पाते है ।

7. परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डाना को आदेशित किया जाता है कि आवेदक अपीलांट से खातेदार के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्राप्त कर विधिक वारिसान के नाम पुनः नामान्तरकरण दर्ज किया जाकर सक्षम स्तर से स्वीकृत किया जावें ।

8. निर्णय आज दिनांक 24.9.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा.